VPSEC/R/P/24/00009

भारत के उप -राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE- PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली -110011 (भारत)
NEW DELHI – 110011 (INDIA
TEL.: 011-23016344

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/87/2023-2024 **15 फरवरी, 2024**

सेवा में,

श्री एस. व्यास
राष्ट्रीय महासचिव,
आई माँ भवन, माधोराय की ढाल,
पो. बॉक्स न.11, फलोदी
जिला-जोधपुर-32301

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया उक्त विषय में आपका दिनांक 23.01.2024 का आर टी आई आवेदन पत्र इस सचिवालय में 01.02.2024 को प्राप्त हुआ है, जिनके साथ दस रूपये का पो॰आ॰सं॰ 61एफ़ 891373 संलग्न कर बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना का विषय इस सचिवालय से संबन्धित नहीं है। इस कारण यह सचिवालय आपको किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना दे पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त के आलोक में, यह सूचित किया जाता है कि आरटीआई माध्यम से शिकायत दर्ज करना और/या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित जानकारी के अलावा अन्य विवरण मांगना आरटीआई के दायरे में नहीं आता है।

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
rticell-vps@nic.in

SPEED POST
19/2/24

NO
114-115
23 JAN 2024

प्रारूप "क"
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
धारा 6(1)
चाही गई सूचना हेतु आवेदन पत्र

RTI No. 87

Confidential
Date 23 JAN 2024
अति आवश्यक

श्री उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़
उपराष्ट्रपति भारत सरकार, उपराष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली-110011

आवेदक नाम व पता | एस एल व्यास 0/0 राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया वोटर्स राईट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, आई माँ भवन Po BOX NO 11 फलोदि (जोधपुर) 342301 M 8239067024 Falodi

(2) चाही गई सूचना - अति आवश्यक (V)

(3) सूचना का विवरण :- (1) पत्रांक No - AIVRWA/RMS/RJ-UK/All India/Laid/राष्ट्रपति भारत/विशेष ज्ञापन/900050-900150 Dt 11 JAN 2024 रिमाण्डर 3rd अति-आवश्यक (विषय - महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा जारी आदेश नं. पी-1/8/1704230049 Dt 17/4/2023 में न्याय विभाग भारत सरकार को दिये निर्देश की पालना को सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि वोटर्स एसोसिएशन की मांग के अनुसार आम मतदाताओं को मासिक वोटर्स पेंशन 3000/- (तीन-हजार रुपये) सुलभ हो सके। पूर्व पत्र AIVRWA/RMS/राष्ट्रपति भारत/All India/Laid/विशेष ज्ञापन/800030-800140 दिनांक 12/1/2023 की पत्रावलीनुसार अमल में लेवें! (14 वाँ अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस) 25 जनवरी 2024 में सम्मलित कर विधिक न्याय बाबत] के क्रम में क्या आदेश जारी किया गया RTI ACT 2005 धारा 13 के तहत सचिवस्तर टिप्पणी युक्त उपलब्ध करावें हमें जनहित में।

(2) उक्त पत्र के पेरा 1, 2 व 3 के क्रम में क्या आदेश मतदाताओं के पक्ष में किया पत्र No 90050-900150 Dt 11 Jan 2024 की पत्रावली के पेरा 1, 2 व 3 में खुलासा करके विधिक न्यायकर RTI ACT 2005 धारा 13 के तहत उपलब्ध शीघ्र करावें हमें आप तीव्रता से।

(4) RTI Fee IPO No 61F 891373 Dt 23/1/2024 RS. 10/- संलग्न है।

(5) पत्र No 90050-900150 Dt 11/1/2024 पत्र की फोटो copy संलग्न भेजी है।

(6) चाही गई सूचना हमारे जीवन से संबंधित है अतः 8 दिनों में भेजें।

(7) चाही गई सूचना धारा 5 में नहीं आती है सार्वजनिक है सूचना।

स्थान - फलोदि समय 11.55 AM समय अवधि आठ दिन (8 DAYS)

भवदीय

[signature]

(SL VYAS) M 8239067024

114-115
23/1/2024
BRM Falodi
23/1/2024

01/04/24

98-4
68-8

O/C

PM Regd 5/Dt. 20-2-2014 वोटर्स एसोसिएशन की सेवार्थ रिमाण्डर 3rd

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन

कार्यालय : एस.एल. व्यास, राष्ट्रीय महासचिव, आई माँ भवन, माधोराय की ढाल, पो. बॉक्स नं. 11, फलोदी जिला जोधपुर (भारत) 342301 मो. 8239067024 Email: slvyas2013@gmail.com

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्त्तव्य व अधिकार है तो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना सरकार का कर्त्तव्य है।

क्रमांक : AIVRWA/RMS/RJ-UK/AllIndia/Laid/राष्ट्रपति भारत/विशेष ज्ञापन/90050–900150 दिनांक : 11–1–2024

अति आवश्यक रजिस्टर्ड पत्र

To,

श्रीमति महामहिम द्रौपदी मुर्मु
राष्ट्रपति, भारत सरकार
राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली–110004

श्रीमान CJI सुप्रीम कोर्ट ऑफ इण्डिया
सर्वोच्च न्यायालय भारत, नई दिल्ली–110004

श्रीमान ओम विरला
लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार, संसद भवन
नई दिल्ली–110001

श्री नरेन्द्र भाई मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली–110011

मार्फत :– एस.डी.एम. फलोदी–122 (जोधपुर) 342301

विषय :– **महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा जारी आदेश नं. पी–1/8/1704230049 दिनांक 17–4–2023 में न्याय विभाग भारत सरकार को दिये निर्देश की पालना को सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि वोटर्स एसोसिएशन की मांग के अनुसार आम मतदाताओं को मासिक वोटर्स पेंशन 3000/-- (तीनहजार रूपये) शुलभ हो सके। पूर्व पत्र AIVRWA/RMS/राष्टपति भारत/AllIndia/Laid/विशेष ज्ञापन/800030–800140 दिनांक : 12–1–2023 की पत्रावलीनुसार अमल में लेवें।(14 वॉ अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस) 25 जनवरी 2024 में सम्मिलित कर विधिक न्याय बाबत्।**

मान्यवरजी,

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एस.एल. व्यास ने गत 11 जनवरी 2024 को आगामी आने वाली 25 जनवरी 2024 मतदाता दिवस को मध्य नजर रखते हुए 14वाँ अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर भारत सरकार, राज्य सरकारें भी देश के करोड़ों मतदाताओं के पक्ष में निर्णय लेने, इनकी मांग एक युग से लगातार चल रही है। इस विषय में महानुभाव अपना मार्गदर्शन व सहयोग देवें। इस संदर्भ में **महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा जारी आदेश नं. पी–1/8/1704230049 दिनांक 17–4–2023 में न्याय विभाग भारत सरकार को दिये निर्देश की पालना को सुनिश्चित करने का आदेश दिया।**

देश आजाद के 76 वर्ष बाद अब "वोटर्स पेंशन" मासिक 3000/– देना न्यायोचित होगा देश के करोड़ों मतदाताओं को आर्थिक परिलाभ मिलेगा। इसमें (सरकारी अर्द्धसरकारी कर्मचारी बड़े उद्योगपति व आयकर दाता) शामिल नहीं है शेष सभी वोटर्स पेंशन पाने के हकदार हैं। माननीय सांसदों के द्वारा भारत देश भर में आज ही देने का प्रावधान करें। **वोटर्स पेंशन लागू होने से राम राज्य का सपना साकार होगा।** सरकार बनाने में हमारे सभी मतदाताओं की पंचायत से लेकर लोकसभा तक इनकी भूमि का रही है इन्हें वोटर्स पेंशन से वंचित क्यों रखा गया। सभी को मिलती है। सभी सरकारें मतदाताओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है मतदान करना अनिवार्य है तो भारत सरकार का भी कर्तव्य है उनकी मूलभूत सुविधा प्रदान करने का। एस.एल. व्यास राष्ट्रीय महासचिव व चिमनसिंह रावत, मो. शफी, पन्नेसिंह, सवाईसिंह राजपुरोहित, पुरूषोतम चन्दनानी, भगवानदास, ओम सुरती, सी.ए. तरूण पुरोहित, ललित अग्रवाल, संजय पंवार, इन्द्राराम राव, मोती, चेतन सिंदल, कमल रामावत, वकील लक्ष्मण वैष्णव, CA विशाल बोहरा, गणेश, भंवरसिंह, किशनसिंह, नन्दकिशोर व्यास, बाबू व्यास, बाबूलाल सियाग, नकूल प्रिंस पुरोहित

OK

PM Regd 5/Dt. 20-2-2014 वोटर्स एसोसिएशन की सेवार्थ रिमाण्डर 3rd

ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन

कार्यालय : एस.एल. व्यास, राष्ट्रीय महासचिव, आई माँ भवन, माधोराय की ढाल, पो. बॉक्स नं. 11, फलोदी जिला जोधपुर (भारत) 342301 मो. 8239067024 Email: slvyas2013@gmail.com

यदि मतदान करना प्रत्येक मतदाता का कर्त्तव्य व अधिकार है तो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना व सुविधाएं देना सरकार का कर्त्तव्य है।

क्रमांक : AIVRWA/RMS/RJ-UK/AllIndia/Laid/राष्ट्रपति भारत/विशेष ज्ञापन/90050–900150 दिनांक : 11–1–2024

श्रवण जोशी, ब्राउन जोशी, हीरालाल शर्मा, कृष्णादेवी माली, मधुबाला अरोड़ा, अनिता, शान्ति, भगवंती, पूजा व अन्य सभी मतदाताओं के बिन्दु सभी राजनैतिक दलों ने अपनी सहमति जताई ये मांग भी जायज मानी। शत् प्रतिशत निष्पक्ष निडर निर्भय होकर मतदान करेंगे। डॉ. भीमराव अम्बेडकर साहिब ने संविधान नियम 193 में भी दर्शाया (लिखा) जन हित में न्याय कर आप सभी उक्त वोटर्स पेंशन मांग पत्र हमारी एसोसिएशन के माध्यम से भिजवाये जायेंगे। वोटर्स एसोसिएशन द्वारा 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस व आधार कार्ड देश भर में लागू करवाये ये भी हमारे विभाग की ही देन है। हमारे सम्पूर्ण देश भर के मतदाताओं के लिए वोटर्स पेंशन अध्यादेश लागू करें। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ये कार्य मात्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अधीनस्थ है। अतः एसडीएम फलोदी अविलम्बता करते हुए केन्द्रिय स्तर पर कार्यवाही हेतु अग्रेषित करवायें जन हित में विधिक न्याय दिलाते हुए। सात दिनों के भीतर आपके आदेश की प्रति उपलब्ध करावें हमें। **कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।**

आवश्यक अग्रिम कार्यवाही मय विधिक न्याय हेतु प्रेषित– पत्रांक 90050–900150 दिनांक 12–1–2024

1. राष्ट्रपति 2. उप राष्ट्रपति, 3. प्रधानमंत्री 4. लोकसभा अध्यक्ष, नई दिल्ली 5. CJI सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली 6. विधि न्याय मंत्री कानून मंत्रालय भारत सरकार 7. सभी सांसद, नई दिल्ली 8. राज्यपाल सभी राज्यों के 9. मुख्यमंत्री सभी 10. निदेशक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (पेंशन मंत्रालय) नई दिल्ली (डी.ए.आर.पी.जी.) 11. समस्त जिला कलेक्टर/**एस.डी.एम. फलोदी**, ब्यावर इत्यादि 12. भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली 13. सचिव लीगल एड बोर्ड राज. RHC जयपुर 14. वासुदेव देवनानी राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष 15. **सी.आई.डी. फलोदी** 16. सभी समाचार पत्र, 17 टीवी चैनल, 18. न्यूज अधिकारी बी.बी.सी. लन्दन (इंग्लैण्ड) ब्रिटिश ब्रॉड कास्टिंग C/o The UKMAC (इंग्लैण्ड), संसद मार्ग नई दिल्ली।

नोट :– आज ही अपने सुझाव व हो रही कार्यवाही से अवगत करावें। 25–1–2024 अन्तर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष में अग्रिम कार्यवाही कर आज ही उपलब्ध करावें जन हित में। आज ही न्यूज प्रकाशित कर सहयोग करें।

जारी दिनांक 11–1–2024

एस. एल. व्यास (राष्ट्रीय महासचिव)
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन
पो.बा.न.11 फलोदी (जिला जोधपुर) 342301 (भारत)
E-Mail:slvyas2013@gmail.com

भवदीय

एस.एल. व्यास
राष्ट्रीय महासचिव
ऑल इण्डिया वोटर्स राईट्स एण्ड वेलफेयर एसोसिएशन
फलोदी पो. बॉक्स नं. 11 मो. 8239067024
Email:-slvyas2013@gmail.com